

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक...604.../स्था0सैट/2023

जबलपुर दिनांक...24/01/2023

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) खण्डपीठ इंदौर की स्थापना में कार्यरत् निम्नलिखित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम 5 में दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्त किया जावेगा:-

क्रं.	कर्मचारी का नाम व पद	वर्तमान पदस्थापना स्थल	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री हेमन्त शर्मा	वाहन चालक	21.05.1961	31.05.2023
2.	श्री शंकर गोरे	भृत्य	20.11.1961	30.11.2023

Sd/-
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृ. क्रमांक...605.../स्था0सैट/2023


जबलपुर दिनांक...24/01/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को उनके पत्र क्रं. 115/लेखा/2023 इंदौर, दिनांक 16.01.2023 के संबंध में
2. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी), मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
3. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.), की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु

4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
5. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर संभाग, इंदौर
6. संभागीय पेंशन अधिकारी, इंदौर संभाग, इंदौर
7. कोषालय अधिकारी, इंदौर
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर
11. लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) मुख्यपीठ जबलपुर
12. स्थापना/लेखा अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर
13. श्री हेमन्त शर्मा, वाहन चालक एवं श्री शंकर गोरे, भृत्य उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) खण्डपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


231-23
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
aw